भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3145

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन

†3145. श्री तनुज पुनियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में, विशेषकर बाराबंकी जिले के पर्यटन स्थलों पर कूड़ा जलाए जाने का संज्ञान लिया है और क्या उक्त जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति लागू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का नगरपालिका के कचरे को समुचित ढंग से अलग करने और निपटाने के लिए उक्त नीति की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए शक्ति का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कर दिया गया है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन, निष्पादन और संचालन करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर मैनुअल/प्रक्रियाओं के मानक (एसओपी) साझा कर

नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रह और अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों में अपशिष्ट मुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, अपशिष्ट का 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, क्षमता निर्माण पहलों, आईईसी और व्यवहार परिवर्तन अभियानों के माध्यम से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित राज्य कार्य योजना के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

*****